न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 79/2015 **(RCMS No. 2015/00135)**

वादी

1. रामेश्वरलाल दत्तक पुत्र शिवराम उर्फ श्योराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी नाडा की ढ़ाणी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. शिवराम उर्फ श्योराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी नाडा की ढ़ाणी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. श्रीमति बनारसीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी नाडा की ढ़ाणी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (भूमिधारी)
4. उप पंजीयक कुचामनसिटी जिला नागौर
5. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया तह. कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा अधिकारो की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दुलाराम अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रति. सं. 1 की ओर से।
श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 26.11.2019

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 185 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 187 रकबा 3.73 हैक्टर कुल रकबा 3.83 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 152 है, उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की रही है, जिसमें वादी के दत्तक पिता शिवराम उर्फ श्योराम का 1/2 है जिसका विधिवत बंटवारा किया हुआ नही है, लेकिन मौके पर वादी व वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी 1/2 हिस्सा भूमि पर अलग काश्त करते है और रहवासी ढ़ाणी बना रखी है जिसमें सपरिवार निवास करते है जो वादी व वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की भूमि है, वादी व प्रतिवादी सं. 1 स्वर्गीय गोरधनराम के वारिसान है जिसका सजरा खानदान इस प्रकार है :–

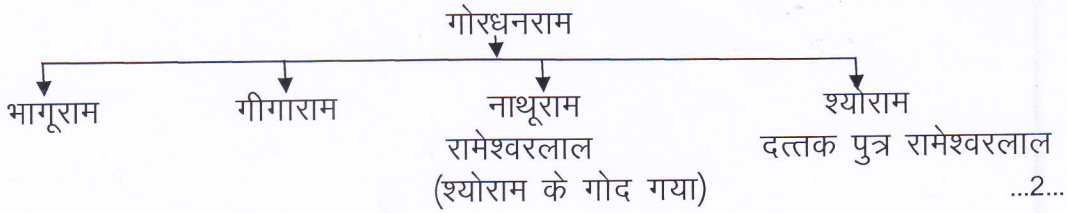

...2...

पूर्व सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 152 रकबा 24 बीघा के वादी का दादा गोरधनराम रेकार्ड खातेदार व काश्तकार थे, गोरधनराम का स्वर्गवास होने के पश्चात उसके चार पुत्र भागुराम, गीगाराम, नाथूराम, शिवराम उर्फ श्योराम के नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की गई। जिसमें से भागूराम व गीगाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दिनॉक 02.12.1998 को नाथूराम व श्योराम के पक्ष में हक त्याग कर देने पर खसरा नम्बर 185, 186, 187 भूमि नाथूराम, शिवराम उर्फ श्योराम के नाम राजस्व रेकार्ड में बराबर–बराबर संयुक्त खातेदारी की 1/2 – 1/2 भूमि दर्ज की गई, और उसके बाद नाथूराम व शिवराम उर्फ श्योराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी व कब्जा काश्त स्वामित्व की भूमि रही। प्रतिवादी सं. 1 शिवराम उर्फ श्योराम अविवाहित होने के कारण अपने वंश को आगे चलाने के लिए अपने बड़े भाई नाथूराम के जायन्दा पुत्र वादी को बाल्य अवस्था में ही करीब 30 वर्ष पूर्व पूर्ण हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार उनके प्राकृतिक माता–पिता की सहमति से कुटुम्ब सम्बन्धियों व रिश्तेदारो को बुलाकर गौद उत्सव मनाकर मंगलीय गीत गवाकर, गुड़ पतासे बांटकर ग्राम सबलपुरा में वादी के प्राकृतिक माता पिता ने प्रतिवादी सं. 1 के गोद में बैठाकर गोद दिया व प्रतिवादी सं. 1 ने गोद लिया की रश्म अदा की ओर प्रतिवादी सं. 1 ने गोद ग्रहण कर लिया, उसके बाद वादी अपने गोद पिता प्रतिवादी सं. 1 के साथ रहने लगा और वर्तमान में भी रह रहा है, वादी की शादी भी प्रतिवादी सं. 1 ने ही की थी जिससे वादी का प्राकृतिक माता पिता की चल व अचल सम्पति से हकह व अधिकार समाप्त हो गया और प्रतिवादी सं. 1 चल व अचल सम्पति पर जायन्दा पुत्र की भांति हक व अधिकार हो गया वादी प्रतिवादी सं. 1 की सम्पति का जायन्दा पुत्र के समान उत्तराधिकारी है, प्रतिवादी सं. 1 ने अपने गोदग्रहण को तस्दीक स्वरूप प्रतिवादी सं. 4 के कार्यालय में गवाह सज्जनसिंह व लक्ष्मणसिंह की उपस्थिति में गोदनामा लिखवाकर दिनॉक 13.01.2006 को प्रस्तुत कर पंजियन करवाया गया। वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिवादी सं. 2 व उसके पति रामचन्द्र ने बहला फुसलाकर उसकी नियम खराब कर दी जिसके कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कुचामनसिटी में एक वाद बाबद गोदनामा निरस्त करवाने का पेश किया गया, जिसको प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मूल वाद सं. 11/2011 दिनॉक 12.10.2011 को समाज के मौजीज व्यक्यिों द्वारा समझाने पर जरिये विड्रोल खारिज करवा लिया। जो इस बात का प्रमाण है कि वादी प्रतिवादी सं. 1 का दत्तक पुत्र है और प्रतिवादी सं. 1 की चल अचल सम्पति का जाईन्दा पुत्र की भांति वादी ही एक मात्र उत्तराधिकारी है, वादी के दत्तक पिता प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 व उसके पति रामचन्द्र के बहकावे पर बदनियती से वादी के गोद पुत्र होने के बावजूद भी पैतृक आराजी में प्राप्त हुए वादी के हक अधिकार से हमेशा के लिए वंचित करने के आशय से वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि को वादी के दत्तक पुत्र के अस्तित्व को छुपाकर उपरोक्त खसरा नम्बर 185 से 187 की भूमि में स्थित अपने हिस्से की सर्म्पूण कृषि भूमि व रहवासी भूमि का प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बिना प्रतिफल व कब्जा सुपुर्द करने के विक्रय पत्र लिखकर दिनॉक 09.05.2011 को पंजियक करवा दिया जो प्रारम्भतः अवैध शून्य व प्रभावहीन Nul & Void है ओर इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम से गलत खातेदारी दर्ज

...3....

करवा ली और प्रतिवादी सं. 5 से ऋण भी प्राप्त कर लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है, प्रतिवादी सं. 2 ने अवैध शून्य व प्रभावहीन बेचाननाम के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 2 के नाम खातेदारी दर्ज हो जाने पर वादी को हक अधिकार व कब्जा काश्त स्वामित्व की भूमि पर दिनॉक 25.07.2015 करने पर उतारू हई तब वादी के मना करने पर वादी को एलानिया धमकी दी कि जमीन को अन्य भूमाफियॉ को बेचान करके जबरन कब्जा करवा दूंगी तुम्हारे से होवे व करना यह जमीन मेरे खातेदारी की है तब वादी द्वारा राजस्व कार्यालय में जाकर जानकारी करने व नकले लेने पर वादी को जानकारी हुई, पैतृक खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार हक हिस्से को सुरक्षित करने आशय से ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर 185 186 187 कुल रकबा 3.83 हैक्टर के संबंध में किया गया विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन Nul & Void होने के कारण निरस्तनीय है वादी अपने वैध हक व अधिकारों की घोषणा करवा कर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है इसलिये यह वाद बाबत रिकार्ड दुरूस्ति का न्यायालय में प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर 185 186 187 कुल रकबा 3.83 हैक्टर में पैतृक खातेदारी की भूमि 1/2 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में अवैध बेचान दिनॉक 09.05.2011 जो प्रारम्भत शून्य व प्रभावहीन Nul & Void को निरस्त कर वादी के हक व अधिकारो की कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि को वादी के नाम खातेदारी घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावे, वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस अगर की आदिम फरमाई जावे कि उपरोक्त खसरा नम्बर 185, 186, 187 में वादी के हक व अधिकार की कब्जासुदा स्वामित्व की भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नही और न हकी अपने प्रतिनिधियों से करावे और प्रतिवादी सं. 2 को पाबंद फरमाया जावे कि प्रारम्भतःशून्य व प्रभावहीन विक्रय पत्र के आधार पर अवैध खातेदारी भूमि का बेचान अन्य किसी व्यक्ति को नही करे तथा प्रतिवादी सं. 4 को पाबन्द फरमाया जावे कि उपरोक्त अवैध रूप से प्राप्त खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर विक्रय विलेख का पंजियन नही करे और न ही करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता को जवाब दावा हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया। मौखिक साक्ष्य में वादी रामेश्वरलाल गवाह के रूप में नाथूराम के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुये। दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा ट्रेस की नकल, जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–2072, हकत्याग पत्र 02.12.1998 की छाया प्रति, गोदनामा दस्तावेज संख्या 01/06 दिनॉक 13.01.2006 की छाया प्रति, बेचान दस्तावेज सं. 2011001274 दिनॉक 09.05.2011 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

उभय पक्षकार अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, बहस दौरान वकील वादी द्वारा वाद में

अंकित तथ्यो को दोहराया गया, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि उपरोक्त भूमि उनकी क्रयसुदा कब्जा सुदा एवं खातेदारी सुदा भूमि है जिस पर आज दिन उसी का कब्जा काश्त है तथा वाद खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2069–2072 ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर 185 185 187 कुल रकबा 3.83 हैक्टर में रामेश्वरलाल पुत्र नाथूराम बनारसी देवी पत्नि रामचन्द्र जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, नामा. सं. 625 दिनॉक 12.09.2014 द्वारा बनारसी देवी पत्नी रामचन्द्र का हिस्सा राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया मूर्तहीन, अपना खाता जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम सबलपुरा के खाता सं. 288 खसरा नम्बर 185 186 187 कुल रकबा 3.83 हैक्टर में बनारसीदेवी पत्नी रामचन्द्र हिस्सा–1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया मूर्तहीन रामेश्वरलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा–1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा लोसल दर्ज है। हक त्याग पत्र प्रति अनुसार भागुराम एवं गीगाराम पुत्र गोरधनराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने सगे भाईयो नाथूराम श्योराम पुत्रान गोरधनराम के पक्ष में दिनॉक 02.12.1998 को निष्पादित किया जिसका पंजियन उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में हुआ है, गोदनामा प्रति अनुसार नाथूराम पुत्र गोरधनराम द्वारा अपने पुत्र रामेश्वरलाल को अपने भाई श्योराम पुत्र गोरधनराम को गोद दिया गया जिसका पंजियन उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनॉक 13.01.2006 को निष्पादित हुआ, बेचान दस्तावेज प्रति अनुसार शिवराम उर्फ श्योराम पुत्र गोरधन जाट सबलपुरा द्वारा बेचान नामा 350000/– रूपये में श्रीमति बनारसीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाट नाडा की ढ़ाणी सबलपुरा के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसका पंजियन उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनॉक 09.05.2011 को हुआ। जबकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद दिनॉक 06.11.2015 को काफी समय पश्चात प्रस्तुत किया है। उपलब्ध रेकार्ड अनुसार यह तथ्य सही है कि रामेश्वरलाल को शिवराम द्वारा गोद लिया गया जो रजिस्टर्ड गोदनामा से साबित है, परन्तु वर्तमान जमाबंदी मुताबिक रामेश्वरलाल का नाम अपने पिता नाथूराम के साथ खातेदारी में दर्ज है। एक व्यक्ति या तो प्राकृति पिता की सम्पति में या गोदपिता की सम्पति में दोनो में से एक ही जगह अधिकार प्राप्त कर सकता है जबकि वादी का नाम अपने पिता के साथ वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है चालू जमाबन्दी के अलावा अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पैतृक रही हो। अतः वाद वादी साबित नही होने खारिज काबिल है।

आदेश

वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।